

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक-प.1(29) गृह-12 / कारा / 1996 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 24.12.2021

-: आज्ञा :-

राजस्थान राज्य एवम् अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान जेल सेवा नियम, 1959 के नियम 7 के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान जेल सेवा में दो वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त करते हैं। राज0 कारागार सेवा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम एच.सी.एम. रीपा, जयपुर द्वारा द्वितीय चरण में आयोजित करवाया जावेगा। तब तक चयनित अभ्यर्थियों को विभाग में कार्यग्रहण करवाकर संस्थानिक प्रशिक्षण/अटैचमेन्ट पूर्ण करवाया जावेगा एवं विभागीय कर्तव्यों के निर्वहन में इनकी सेवाएं ली जा सकेंगी। **द्वितीय चरण में एच.सी.एम. रीपा, जयपुर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये जाने पर विभाग एच.सी.एम. रीपा के पत्र दिनांक 30.11.2021, 03.12.2021 एवं 21.12.2021 में उल्लेखित दिशानिर्देशों की पूर्ण पालना हेतु अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है:-**

S. No.	MERIT NO.	ROLL NO.	NAME	DATE OF BIRTH	CATEGORY
1.	378	809952	JITENDRA SINGH RATHORE	15-06-1985	GE
2.	1481	814856	SUMAN KUMARI MEENA	08-08-1996	ST, WE

1. उक्त नियुक्तियों एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4296/2021 सुरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 4131/2020 ज्योति शर्मा बनाम राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 11806/2021 शिप्रा चौधरी बनाम राज्य एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 7044/2020 किशन लाल सहारण एवं अन्य बनाम राज्य सरकार, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 8380/2015 राजेश शर्मा एवं अन्य बनाम राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13582/2021 नटवर सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन सं. 13976/2021 कुलवन्त सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एवं राज0 राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2018 से संबंधित दायर समस्त रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं (सील्ड कवर रखने के आदेश) एवं समस्त वादकरणों के अन्तिम निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।



निरंतर-2

2. जिन अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन Attestation Form में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी नियुक्तियाँ सभी स्थानों से पुलिस सत्यापन प्राप्त होने तक प्रोविजनल रहेगी।
3. उक्त नियुक्तियाँ समस्त मूल दस्तावेजों की जाँच के अध्यक्षीन रहेगी।
4. इन परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प.14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
5. गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 15(1)कार्मिक/क-2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
6. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
7. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ राजस्थान जेल सेवा नियम 1959 के नियम 7 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई हैं।
8. उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यक्षीन हैं।
9. इन अभ्यर्थियों को परीवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परीवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
10. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान जेल सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
11. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्ध पत्र निष्पादित करेंगे।




12. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
13. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से दिनांक 27.12.2021 को प्रातः 09:30 बजे (कमरा नं. 1117, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में) उपस्थिति के समय प्रस्तुत करेंगे।
14. अभ्यर्थियों को दिनांक 27.12.2021 को प्रातः 09:30 बजे तक अपने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (विवाहित होने की स्थिति में) की सत्यापित प्रति के साथ उपस्थित हों।
15. चयनित अभ्यर्थियों के लिए हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा प्रथम चरण के पूर्ण होने के पश्चात् द्वितीय चरण में प्रारम्भ होगी, जिसकी सूचना तत्समय संस्थान द्वारा दी जायेगी। उक्त तय प्रशिक्षण के दौरान छात्रावास में निवास करना अनिवार्य है। छात्रावास सुविधा प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध होगी।
16. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाइट www.hcmripa.gov.in पर उपलब्ध है।
17. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
18. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self Declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।
19. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, जीवित संतान/संतानों की सूचना एवं धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं, परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।
20. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।



21. कार्यग्रहण करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी/सहायता हेतु भी श्री हेतराम मीना, सहायक शासन सचिव मो.न. 9636622724 एवं श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता, अनुभाग अधिकारी मो.न. 9571491999 से संपर्क किया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(भवानी शंकर)


वरिष्ठ शासन उप सचिव

Tel. No.0141-2385665

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-


1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय कारागार मंत्री महोदय।
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0 जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिवगण।
7. निदेशक, हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव, प्रशिक्षण, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से उक्त आज्ञा के बिन्दु संख्या 11 में उल्लेखित "बन्ध पत्र", बिन्दु संख्या 18 में अंकित **आपराधिक प्रकरणों** के संबंध में "**Self declaration**" अथवा शपथ पत्र तथा बिन्दु संख्या 19 के अनुसार, जो अभ्यर्थी विवाहित हों उनके विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्रति एवं धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण हेतु इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
8. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग को उनकी अशा. टीप क्रमांक प.9(1)कार्मिक/क-4/2/2021 दिनांक 24.12.2021 के क्रम में।
10. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशासनिक सुधार विभाग।
11. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।

14. श्री जितेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री अभय सिंह राठौड़, प्लॉट नं. 53, रूप विहार, कालवाड रोड नियर हाथोज बस स्टैण्ड, झोटवाड़ा, जयपुर-302012 (राज.)
15. सुश्री सुमन कुमारी मीना पुत्री श्री सूरज लाल मीना, गाँव- वालकापुरा, पोस्ट एवं तहसील टोडाभीम, जिला करोली-321611 (राज.)
16. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग – उक्त नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाईट पर "Raj. Jail Service Appointment Dated 24-12-2021 (Exam-2018)" शीर्षक से अपलोड करने हेतु।
17. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।


वरिष्ठ शासन उप सचिव